न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक –रीडर/ 2022/753 दिनांक :–23/8.2022

मुकदमा नंबर 211/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कुम्भाराम पुत्र पुरखाराम जाति पटेल निवासी पुरोहितों का बेरा बालोतरा तहसील पचपदरा 2. मांगीलाल पुत्र मैरामजी जाति चौधरी निवासी रामनगर, थोब तहसील कल्याणपुर ।		1. सुरताराम पुत्र मैरामजी 2. अचलाराम पुत्र मैरामजी जाति चौधरी निवासीयान रामनगर, थोब तहसील कल्याणपुर 3. राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड जरीये प्रबन्धक रीको, खेड रोड बालोतरा 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कल्याणपुर ।

आदेश दिनाक :– 23.8.2022

उपर्युक्त,प्रकरण मौजा रामनगर पटवारी क्षेत्र थोब, भू–निरीक्षक क्षेत्र थोब तहसील कल्याणपुर में खेत खसरा नं0 578/51 रकबा 1.8373 हैक्टेयर, खसरा संख्या 738/581 रकबा 0.8903 हैक्टेयर विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनोंक 07.09.1992 के मद्देनजर)कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखबन्दी की जावें कमिश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित किया जाता हैं,जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें ।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

क्रमांक /रीडर/ 2022/744 दिनांक :–23/8/22

प्रतिलिपि :– तहसीलदार कल्याणपुर को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करें, [illegible] पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राज[illegible] आवे[illegible] संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज करें भिजवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 17:12:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा